

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० /2016/13(120)/XXVII(8)/16

दिनांक: देहरादून: 04- सितम्बर, 2016
अम्बिका

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(क) की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम के अधीन कर का दायी प्रत्येक ब्यौहारी, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त नीचे सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट माल की खरीद या बिक्री अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो, के कराधेय आवर्त पर निम्न सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान करेगा:-


क्र० सं०	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
1	उक्त अधिनियम की किसी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में	01 प्रतिशत

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं० 824/2016/13(120)/XXVII(8)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन०आई०सी०
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव